अपीलीय अधिकारी एवं संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश
चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल – 462004 (म.प्र.)

क्र. सूअप्र/संतशि/10/334
भोपाल दिनांक 10/6/10

1. श्री टी.सी. सिंघई
सेवानिवृत्त व्याख्याता
पुराने थाने के पास, शिवाजी वार्ड,
खुरई, जिला–सागर

रजिस्टर्ड डाक से

आवेदक/ अपीलार्थी

विरूद्ध

2. लोक सूचना अधिकारी
शासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय,
खुरई, जिला–सागर

रजिस्टर्ड डाक से

अनावेदक/प्रतिअपीलार्थी

प्रथम अपील सुनवाई निर्णय दिनांक 07.06.2010

आवेदक/ अपीलार्थी उपस्थित ।

अनावेदक/प्रतिअपीलार्थी (लोक सूचना अधिकारी/प्राचार्य, शा. पोलीटेक्निक महाविद्यालय,खुरई उपस्थित)।

अपील के मुख्य बिंदु

1. आवेदक/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 11.05.2010 का मेरे द्वारा अवलोकन किया। आवेदक/ अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार के तहत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 12.03.2010 प्रस्तुत कर 03 बिंदुओं पर जानकारी चाही थी। अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन अनुसार उक्त आवेदन में कोई भी कार्यवाही न किये जाने एवं जानकारी अप्राप्त होने के कारण प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय

आवेदक/ अपीलार्थी द्वारा बिंदु क्र. 1 के संबंध में कहा गया कि इन्हें जानकारी अप्राप्त थी इस संबंध में कटौत्रा संबंधी जानकारी की प्रमाणित प्रतियां मय संलग्नकों के सुनवाई के दौरान दी गई तथा अनावेदक/प्रतिअपीलार्थी द्वारा बताया गया कि नोटशीट एवं अन्य कोई दस्तावेज बिंदु क्र. 1 से संबंधित संस्था में उपलब्ध नहीं है। संस्था 1984 से शासकीय हुई है, लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी के कथनानुसार इसके पहले के दस्तावेज संस्था में उपलब्ध नहीं है।

आवेदक/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 23.07.2009, 11.09.2009, एवं 29.01.2010 से संबंधित कोई नोटशीट संस्था में नहीं चलवाई गई ऐसा अनावेदक/प्रतिअपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया। उक्त पत्रों के संबंध में जो पत्र महालेखाकार ग्वालियर को लिखे गये जिसकी प्रति आवेदक/अपीलार्थी को अप्राप्त थी उसकी प्रति भी आवेदक/अपीलार्थी को प्रदान की गई।

आवेदक/ अपीलार्थी द्वारा बिंदु क्र. 3 के अंतर्गत जो पत्र संस्था द्वारा ए.जी.एम.पी. ग्वालियर को भेजे हैं इसकी प्रमाणित प्रति भी मय दस्तावेजों के अपीलार्थी को उपलब्ध कराई गई एवं अनावेदक/प्रतिअपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी से संबंधित उक्तानुसार प्रदाय किए गए दस्तावेजों/ अभिलेखों के अतिरिक्त और भी यदि कोई दस्तावेज/ अभिलेख संस्था में उपलब्ध हो तो एक सप्ताह के भीतर आवेदक/ अपीलार्थी को उपलब्ध कराये जायें।

निरंतर.........2/--

4. उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में दोनों पक्षों की उपस्थिति में अपील निराकृत की गई जिसकी सहमति स्वरूप आवेदक/अपीलार्थी द्वारा अपील रजिस्टर में हस्ताक्षर अभिलिखित किए गए हैं।

5. उपरोक्तानुसार अपील के निराकरण के संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत होते हुए असंतुष्ट होने की स्थिति में अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में निम्नानुसार अपीलार्थी द्वारा अपील की जा सकती है।

द्वितीय अपील	समय–सीमा
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011 (मध्यप्रदेश)	विनिश्चय की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर

(आशीष डोंगरे)
अपीलीय अधिकारी एवं संचालक
तकनीकी शिक्षा संचालनालय, म.प्र.
भोपाल – मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्र. सूअप्र/संतशि/10/335
भोपाल दिनांक 10/6/10

प्रतिलिपि :–

1. मान. मुख्य सूचना आयुक्त, म.प्र. राज्य सूचना आयोग, 58, निर्वाचन भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल, म.प्र.
2. वरिष्ठ निज सहायक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, म.प्र., भोपाल।
3. कम्प्यूटर शाखा, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, म.प्र. भोपाल।

(आशीष डोंगरे)
अपीलीय अधिकारी एवं संचालक
तकनीकी शिक्षा संचालनालय, म.प्र.
भोपाल – मध्यप्रदेश